न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0– 24 / 2015

...कला पुत्री गिरधारी पत्नि भंवरलाल माली निवासी पंवारसर कुआ रोशनी घर के पीछे, बीकानेर

......अपीलाण्ट......

–:बनाम:–

1. योगेन्द्र कुमार 2. सुरेन्द्र कुमार 3. नरेन्द्र कुमार पुत्रगण हीरालाल पुत्र गिरधारी माली निवासी रानीसर बास, एम.एस. कॉलेज के पीछे, बीकानेर

4. मेघराज 5. रामचन्द्र 6. रणछोड़ पुत्रगण गिरधारी निवासी रानीसर बास, एम.एस.कॉलेज के पीछे बीकानेर

7 सुशीला पत्नि महेश पुत्र गिरधारी 8. मनीष पुत्र महेश पुत्र गिरधारी माली निवासी एम. एस.कॉलेज के पीछे, रानीसर बास बीकानेर 9. पंकज पुत्र महेश पुत्र गिरधारी माली निवासी 2–ई–13 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर

10. पूजा पुत्री महेश पत्नि रवि कच्छावा निवासी रानीसर बास एम.एस.कॉलेज के पीछे ,बीकानेर हाल उत्सव रेजीडेन्स मकान स. बी–101 चांदखेड़ा न्यू सी.जी. रोड़ साबरमति अहमदाबाद (गुजरात)

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर

....रेस्पोडेंन्टस ......

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति अभिभाषक:–

1. श्री सत्यपाल सहू , अपीलाण्ट।
2. श्री धीरेन्द्र सिंह रेस्पोडेन्टान सं. 1 व 3 ता 9
3. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक– 17 / 03 / 2020

यह अपील तहसीलदार उपनिवेशन इगानप बीकानेर दिनांक 28.06.1986 जिसकी रूह से इन्तकाल सं.77 वाके रोही चकगर्बी के आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके रोही चकगर्बी की ख.न.783 तादादी 5 बीघ 1 बिस्वा ख.न.876 तादादी 25 बीघा 5 बिस्वा, ख.न. 822 तादादी 8 बीघा कुल तादादी 38 बीघा 6 बिस्वा रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज करने के आदेश गैर कानूनी तरीके से दिये गये जो खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। विवादित कृषि भूमि गिरधारी पुत्र लिखमा की 2012 से पूर्व की कृषि भूमि रही है, गिरधारी का स्वर्गवस होन जाने के पश्चात् कानूनन उसकी पतिन एवं 5 पुत्र एवं एक

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

पुत्री को बहिस्सा बराबर 1/7,1/7 को प्राप्त हुई जिनका वरवक्त दर्ज किये ाने नामा. य.77 दिनांक 28.6.1986 को रेस्पोडेन्टान ने अमलामाल से सांठ–गांइ कर अपीलांटा का नाम छोडते हुए अपनी मां व 5 भाईयों के नाम से बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 में गलत वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जो खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। अदालत मातहत ने बिना कोई जांच करवाये बिना सार्वजनिक नोटिस जारी किये मानमाने तरीके से गलत वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर नामानतरण करण दर्ज कर कानूनी भूल खाई है। अदालत मातहत द्वारा इस प्रकार जल्दबाजी में पारित आदेश में भूमि गलत ख.न. 786 के स्थान पर 876 गलत दर्ज किया गयाा है एवं कुल तादादी 38 बीघा 6 बिस्वा के स्थान पर 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि अंकित की है के गलत अंकन पर बिना गोर किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत मनमाने तरीके से जीवित पुत्री के होते हुए नान्तकरण में पुत्री का नाम नहीं दर्ज कर गैर कानूनी आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 16.03.2015 को रेस्पेडेन्ट सुशीला द्वारा यह कहने पर कि तुम्हारा पिता की भूमि में कोई हक नही है और भूमि का हमने हमारे नाम से दर्ज करवा ली है। जिस र अपीलांटा ने पटवारी हल्का से पूछताछ की तो भूमि रेस्पोडनेटान के नाम दर्ज होना बताया एवं नामान्तरण तहसीलदहाजा में जमा होना बताया। जिस पर तहसीलहाजा जाकर जानकारी प्राप्त करने पर नामा.स. 77 की जानकारी मिली जिकी नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2015 को प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की एवं माता चम्पा देवी के फौत होने पर उनका नाम हटाने एवं अपने नाम से नामान्तकरण स.45 दर्ज होने की जानकारी मिली एवं नामा. रजि. तहसीलहाजा में नही होना बताया जिन पर पुनः छानबीन करने पर उक्त रजिस्टर न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर में भिजवाया जाना बताया गया, वहां से नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 19.03.2015 को नकल इन्तकाल स. 45 प्राप्त की उक्त जानकारी मिलने पर अपीलांटा ने सलाह मशिविरा कर रूपये पैसों का बंदोबस्त कर कानूनी राय प्राप्त कर अपील न्यायालय हाजा में जानकारी के दिन से बिना कोई देरी किये प्रस्तुत की गयी। मियाद अधि. कि धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न अपील कर निवेदन रहै कि मियाद अपील कन्डोन फरमाई जावें अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। प्रस्तुत अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.3.2015 को वकील अपीलान्ट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर इकतरफा तौर पर सुना जाकर आक्षेपाधीन इन्तकाल स.77 दिनांक 28.6.86 के अन्तर्गत विवादित भूमि वाके रोही ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 783 में 5 बीघा 1 बिस्वा ,ख.न. 876 तादादी 25 बीघा 5 बिस्वा ,ख.न.822 तादादी 8 बीघा कुल 36 बीघा 6 बिस्वा भूमि के रेकार्ड की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व रजिस्टर्ड तलबी जारी की गयी। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 10 पर स्वंय पर समन तामिल होने के उपरान्त उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दिनांक 15.11.16 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ता 9 की तरफ से श्री धीरेन्द्रसिह भदौरिया वकील उपस्थित आये। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 12.6.19 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया जाकर निर्णय किया जावे। जिस पर दिनांक 4.7.19 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकार्ड मंगवाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार बीकानेर द्वारा मूल इंतकाल नम्बर 77 प्रस्तुत किया। जिसका अवलोकन किया। जिसमें इंतकाल के साथ और कोई दस्तावेज चस्पा नही। पाये गये जिस पर मूल इंतकाल वापस लौटाते हुए इंतकाल की प्रमाणित प्रति शामिल करवायी और पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस वकील अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया की मुख्य रूप से इंतकाल सही है या गलत है ,अपील में बिन्दू है। लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय बरबाद करना चाहते है। वकील अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन किया की ग्राम चकगर्बी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 783 में 5 बीघा 1 बिस्वा ,876 के 25 बीघा 5 बिस्वा तथा 822 के 8 बीघा तीनो खसरो की कुल 38 बीघा 6 बिस्वा पिता की मृत्यु होने पर विरास्तन इंतकाल नम्बर 77 से दर्ज की गयी है। यह भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की है। हमारे परिवार में 5 लड़के एक पत्नी एक पुत्री कुल सात सदस्यों का कुल 1/7 हिस्सा होना था। परन्तु पुत्री का नाम छोडते हुए 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ तथा खसरा नम्बर 786 के स्थान पर 876 का दर्ज हुआ। वकील अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन कि हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम में मृतक के बाद चार उत्ताधिकारी होते है। जिसमें पुत्री भी शामिल हैं। यहां पुत्री को छोड़ा गया है। अतः उक्त नियमों के खिलाफ किया गया है। वकील अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन किया नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 18.3.2015 को अपीलाण्ट की भाभी सुशीला पत्नि महेश से हुई और जानकारी होने के बाद दिनांक 23.3.2015 को अपील प्रस्तुत कर दी गयी। वकील अपीलाण्ट द्वारा बहस के समर्थन में निम्नाकित नजीरे प्रस्तुत की :– हिन्दुउत्ताधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 , RRD 1994 पेज 3031 व 1975 पेज 137 ,1989 पेज 45,1994 पेज 606,1990 पेज 479, 1979 पेज 220 व उच्च न्यायालय पेज 550 RRD 2002 ,RRD 2002 पेज 723 ,RRD 1998 पेज 319 उच्च न्यायालय , RBJ 2002 पेज 308 ,DNJ 2016 Vol.1 पेज 201 व 310 ,DNJ 2014 पेज 467 और DNJ 2010 पेज 295। वकील अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन किया की रेस्पोडेन्ट भूमि में प्लॉट काटकर बेच रहे है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलाण्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया की भूमि यु.आई.टी. के नाम है। उन्हें पार्टी नही बनाया गया है। इसी कारण से प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा यह भी कथन किया अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 का आवेदन साथ नहीं लगाया गया है व प्रस्तुत अपील मूल आदेश की नहीं है अपितु आदेश की पालना में इंतकाल की है। उक्त आदेश जिसके तहत इंतकाल हुआ वह आज दिनांक अस्तित्व में ही नही है। क्योकि कई सालों पहले भूमि यूआईटी के नाम दर्ज हो गयी। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीरे पेश की :–DNJ 2076 Volume I Page 201, DNJ 2016 Volume I, Page 310 ,DNJ 2014 Volume I Page 467, DNJ 2010 Volume I Page 295. इसके साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया गया की मियाद बिन्दू में शपथ पत्र के अनुसार पुत्रवधु "की तुम्हारे पिता की भूमि पर कोई हिस्सा नहीं" इससे हुई अपील में हाजिर होने पर कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः खारिज योग्य है।

बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अपीलांट ने विलम्ब के माफ के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा नामान्तरण संख्या 77 दिनांक 28.06.1986 की जानकारी का दिनांक 18.03.15 होना बताया है। जबकि अपीलान्ट रेस्पोडेन्टस भाई–बहन है और एक ही परिवार से सम्बधित होकर एक ही शहर में निवास करते है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा लगभग 29 साल के विलम्ब के लिए कोई सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं बताया। जिसके सबध में 2013(2) आरआरटी 1089 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 5.7.2013 द्वारा सिद्वान्त प्रतिपादित किया है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया ही मियाद बिन्दू धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत् अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.03.20 15:05:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: